

**ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND
SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS
THEREON**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.121
TO BE ANSWERED ON THE 11TH MARCH, 2025**

**FUND ALLOCATION FOR DEVELOPMENT OF HEALTH INFRASTRUCTURE IN RURAL
AREAS**

121. SHRI NEERAJ SHEKHAR:

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

- (a) the details of fund allocated for development of health infrastructure in rural areas of the country during the financial year 2025-26 in the Union budget, State-wise; and
- (b) the details of fund allocated, released and utilised during the financial year 2024-25 till date for development of health infrastructure in the country, State-wise?

**ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SHRI JAGAT PRAKASH NADDA)**

- (a) and (b): A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 121 * FOR 11TH MARCH, 2025**

(a) and (b): With the objective of attainment of universal access to equitable, affordable and quality health care services, the Ministry of Health & Family Welfare is implementing various programs and provides technical and financial support to the States/UTs for improvement in health infrastructure. Details of a few major schemes promoting health infrastructure are as under:

- **National Health Mission (NHM):** Under NHM, Budget Estimate (BE) for FY 2025-26 is Rs. 37,226 Cr. and Revised Estimate (RE) for FY 2024-25 is Rs 36,000 Cr. As of now, an amount of Rs. 33,504 Cr. has been released. Funds are released to States/UTs under flexible pools on a lump sum basis for Development of Infrastructure, Reproductive and Child Health services, Non Communicable Disease programs, Disease Elimination programs, Health System Strengthening, etc. to provide greater flexibility to States to utilize the funds as per their felt need and priorities. The State/UT-wise Central Release and Expenditure for the FY 2024-25 are at Annexure-I.
- **Pradhan Mantri- Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM):** PM- ABHIM has an outlay of Rs. 64,180 Crores for the scheme period (2021-22 to 2025-26). Under PM - ABHIM Central Sponsored Scheme (CSS), support is provided to the states for establishment of pandemic resilient infrastructure in rural areas. The Budget allocation for the scheme for FY 2025-26 is Rs. 4,200 Cr. Against the Revised Estimate (RE) for FY 2024-25 of Rs. 3,000 Cr. an amount of Rs. 1,477 Cr. has been released to the States/UTs as of now. The State/UT-wise Central Release and Expenditure for the FY 2024-25 are at Annexure-II.
- **The Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY):** The scheme provides support for (i) Setting up of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS); and (ii) Up-gradation of existing Government Medical College/ Institutions (GMCIs). PMSSY and related Establishment expenditure of New AIIMS have got a Budget allocation of Rs. 9,940 Cr. in FY 2025-26. Against the RE of Rs. 9,236 Cr. for FY 2024-25, an amount of Rs. 8,487 Cr. has been released as of now.
- **Development of Nursing services:** This scheme which supports upgradation of existing Schools of Nursing (SoN) into Colleges of Nursing (CoN) has got a Budget allocation of Rs. 32.74 Cr. in FY 2025-26 (BE). Against the Revised Estimate of Rs. 22 Cr. for FY 2024-25, Rs. 19.08 Cr. has been released as of now. The State/UT-wise details of funds released for 2024-25 till date are at Annexure III.
- **Augmenting Nursing Education - Establishment of new Colleges of Nursing co-located with Medical Colleges:** This scheme has got a Budget allocation of Rs 200 Cr. in FY 2025-26 (BE). Against the Revised Estimate of Rs. 200 Cr. for FY 2024-25, Rs. 14 Cr. has been released as of now. The State/UT-wise details of funds released for 2024-25 till date are at Annexure IV.

- **Establishment of new medical colleges attached with existing district/referral hospitals:** This scheme which aims at Establishment of Medical Colleges in underserved areas and aspirational districts has got a Budget allocation of Rs 1500 Cr for FY 2025-26 (BE). Against the RE of Rs 379.12 Cr in FY 2024-25, an amount of Rs 163.08 Cr has been released as of now.
- **15th Finance Commission (FC-XV):** The Fifteenth Finance Commission (FC-XV) has recommended grants through local governments for specific components of the health sector to the tune of Rs. 70,051 crores and the same have been accepted by the Union Government. These grants for health through Local Governments will be spread over the five-year period from FY 2021-22 to FY 2025-26 and will facilitate strengthening of health system at the grass-root level.

State/UT-wise Central Release and Expenditure under National Health Mission (NHM) for the FY 2024-25

Rs. In Crore

S. No.	Name of the State/UT	2024-25	
		Central Release	Expenditure
1	Andaman and Nicobar Islands	41.72	23.82
2	Andhra Pradesh	1,167.48	1,481.02
3	Arunachal Pradesh	347.14	272.18
4	Assam	1,993.35	2,881.95
5	Bihar	2,220.53	2,926.77
6	Chandigarh	29.61	22.63
7	Chattisgarh	946.34	1,334.33
8	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	32.51	20.54
9	Delhi	175.55	266.13
10	Goa	61.03	68.26
11	Gujarat	1,283.11	1,894.78
12	Haryana	540.24	959.46
13	Himachal Pradesh	514.90	404.45
14	Jammu & Kashmir	972.96	666.04
15	Jharkhand	799.90	1,344.65
16	Karnataka	1,196.98	1,636.38
17	Kerala	938.80	989.78
18	Ladakh	104.06	78.91
19	Lakshadweep	8.04	5.62
20	Madhya Pradesh	2,183.99	3,681.61
21	Maharashtra	2,329.80	4,604.59
22	Manipur	233.88	232.81
23	Meghalaya	250.55	284.41
24	Mizoram	121.84	117.06
25	Nagaland	204.08	155.98
26	Odisha	1,779.80	2,315.15
27	Puducherry	25.26	30.87
28	Punjab	509.48	689.25
29	Rajasthan	2,347.71	3,242.52
30	Sikkim	65.90	54.95
31	Tamil Nadu	1,543.13	2,715.43
32	Telangana	1,072.29	986.00
33	Tripura	266.42	197.35
34	Uttar Pradesh	5,643.62	5,406.28
35	Uttarakhand	546.96	430.47
36	West Bengal	221.02	1,791.48

Note: 1. Expenditure includes expenditure against Central Release, State release & unspent balances at the beginning of the year. Expenditure is as per FMRs submitted by States/UTs and is provisional. The expenditure w.r.t. flexible pool for RCH, etc. is updated up-to 31.12.2024 except Haryana (updated up-to 30.11.2024).

2. The above releases relate to Central Govt. Grants & do not include State share contribution. Central Release for the F.Y. 2024-25 is updated up-to 05.03.2025 and is provisional.

State/UT-wise Central Release and Expenditure under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission for the FY 2024-25

Rs. In Crore

S. No.	Name of the State/UT	2024-25	
		Central Release	Expenditure
1	Andaman and Nicobar Islands	1.05	0.47
2	Andhra Pradesh*	29.32	36.17
3	Arunachal Pradesh	0.00	0.10
4	Assam*	103.09	89.84
5	Bihar*	0.00	47.21
6	Chandigarh	5.13	3.11
7	Chhattisgarh*	14.66	23.27
8	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	0.53	0.47
9	Delhi	-NA-	-NA-
10	Goa*	0.00	0.03
11	Gujarat	79.38	80.11
12	Haryana*	0.00	26.46
13	Himachal Pradesh*	23.11	20.00
14	Jammu & Kashmir	60.44	49.30
15	Jharkhand*	21.27	226.57
16	Karnataka*	69.50	107.36
17	Kerala*	16.45	20.89
18	Ladakh	0.31	0.31
19	Lakshadweep	0.00	0.39
20	Madhya Pradesh*	60.04	208.94
21	Maharashtra*	34.71	36.04
22	Manipur	5.74	12.56
23	Meghalaya*	1.85	20.49
24	Mizoram	1.96	5.03
25	Nagaland	0.00	1.08
26	Odisha*	98.24	151.50
27	Puducherry	1.25	2.11
28	Punjab*	1.14	30.46
29	Rajasthan*	67.31	99.14
30	Sikkim	0.84	3.19
31	Tamil Nadu*	168.72	418.55
32	Telangana*	108.65	178.21
33	Tripura*	2.12	3.15
34	Uttar Pradesh	400.95	340.09
35	Uttarakhand*	18.43	15.81
36	West Bengal*	71.98	52.41

Note:

1.Expenditure includes expenditure against Central Release, State release & unspent balances at the beginning of the year. Expenditure is as per FMRs submitted by States/UTs and is provisional. Expenditure for FY 2023-24 is updated up-to 31.03.2024 and is provisional. Expenditure for FY 2024-25 is updated up-to 31.01.2025 except (Arunachal Pradesh & Chandigarh up-to 31.12.2024).

2.Central Release indicated above does pertains to the year 2024-25 only and does not includes State share contribution. Central Release for the F.Y. 2024-25 is updated up-to 03.03.2025 and is provisional.

3.Delhi has not signed MoU for implementation, but has expressed willingness to implement the scheme.

4.*Mother Sanction under SNA SPARSH Platform has been issued during the FY 2024-25. Mother sanction issued to Bihar on 21.02.2025, Goa and Haryana on 07.03.2025.

5.State of Arunachal Pradesh, Lakshadweep and Nagaland has not fulfilled the DoE conditionalities for Central Release.

Details of State/UT -wise funds released from 2024-25 till date under “Development of Nursing Services”

(Rs. in cr.)

S. No.	State	Name of Institution	Fund Released
1	Arunachal Pradesh	Govt. School of Nursing, Namsai, AP	3.1782
		Govt. School of Nursing, Aalo, AP	3.60
2	Mizoram	Govt. School of Nursing, Thingdawl	1.525
		Govt. School of Nursing, Lunglei	2.35
3	Maharashtra	School of Nursing, Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj General Hospital, Solapur	3.00
		School of Nursing, Vilasrao Deshmukh Govt. Medical College and Hospital, Latur	2.7134
		Training College of Nursing & R.C.S.M. Government Medical College & Chhatrapati Pramila Raje General Hospital, Kolhapur	2.7134
	Total		19.08

Note:

- Funds under the Scheme are released on the basis of eligible proposals received from the States/UTs
- The State Governments apply under the Scheme for release of the funds. The funds are released on first cum first serve basis subject to submission of requisite documents in prescribed format as per Scheme guidelines.

Details of State/UT -wise funds released from 2024-25 till date under “Augmenting Nursing Education - Establishment of new Colleges of Nursing co-located with Medical Colleges”

(Rs. in cr.)

Sl. No.	State/UT	District	Fund Released
1	Uttarakhand	Haldwani, Rudrapur, Sri Nagar Paudi Garhwal, Haridwar	9.00
2	Ladakh	Leh	2.50
3	Andaman & Nicobar Islands	Port Blair	2.50
	Total		14.00

Note:

- Funds under the Scheme are released on the basis of eligible DPRs received from the States/UTs
- Out of Rs.220 Cr. (RE 2024-25) Rs. 14 Cr (First Instalment) has been released and Mother Sanction of Rs.77 Cr to Govt of Rajasthan and Rs. 76 Cr. to Govt. of UP has been issued (Second and Final Instalment).

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *121
11 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए निधि का आवंटन

*121. श्री नीरज शेखर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आज की तिथि तक, देश में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

11 मार्च, 2025 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.121 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है तथा स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** एनएचएम के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान (ब.अ.) 37,226 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान (सं.अ.) 36,000 करोड़ रुपये है। अब तक, 33,504 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवसंरचना के विकास, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, गैर-संचारी रोग कार्यक्रमों, रोग उन्मूलन कार्यक्रमों, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण आदि के लिए लचीले पूल के तहत एकमुश्त आधार पर धनराशि जारी की जाती है, ताकि राज्यों को उनकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत राशि और व्यय **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।
- **प्रधानमंत्री- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** पीएम-एबीएचआईएम के लिए योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय है। केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) पीएम एबीएचआईएम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी प्रतिरोधी अवसंरचना की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए बजट आवंटन 4,200 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान 3,000 करोड़ रुपये के मुकाबले अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,477 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत राशि और व्यय **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** इस योजना में (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पीएमएसएसवाई और नए एम्स की स्थापना से संबंधित व्यय के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 9,940 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 9,236 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले अब तक 8,487 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
- **नर्सिंग सेवाओं का विकास:** मौजूदा नर्सिंग स्कूलों (एसओएन) का नर्सिंग कॉलेजों (सीओएन) में उन्नयन करने में सहायता करने वाली इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 32.74 करोड़ रुपये का बजट आवंटन

किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले अब तक 19.08 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 2024-25 के लिए अब तक जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

- **नर्सिंग शिक्षा का संवर्धन- मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ वहीं पर नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना:** इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 200 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले अब तक 14 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 2024-25 के लिए अब तक जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।
- **मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 (ब.अ.) के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 379.12 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले अब तक 163.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
- **15वां वित्त आयोग:** पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से दिए जाने वाले ये स्वास्थ्य अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेंगे और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होंगे।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत राशि और व्यय

करोड़ रु.में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2024-25	
		केंद्रीय निर्गत राशि	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	41.72	23.82
2	आंध्र प्रदेश	1,167.48	1,481.02
3	अरुणाचल प्रदेश	347.14	272.18
4	असम	1,993.35	2,881.95
5	बिहार	2,220.53	2,926.77
6	चंडीगढ़	29.61	22.63
7	छत्तीसगढ़	946.34	1,334.33
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	32.51	20.54
9	दिल्ली	175.55	266.13
10	गोवा	61.03	68.26
11	गुजरात	1,283.11	1,894.78
12	हरियाणा	540.24	959.46
13	हिमाचल प्रदेश	514.90	404.45
14	जम्मू एवं कश्मीर	972.96	666.04
15	झारखंड	799.90	1,344.65
16	कर्नाटक	1,196.98	1,636.38
17	केरल	938.80	989.78
18	लद्दाख	104.06	78.91
19	लक्षद्वीप	8.04	5.62
20	मध्य प्रदेश	2,183.99	3,681.61
21	महाराष्ट्र	2,329.80	4,604.59
22	मणिपुर	233.88	232.81
23	मेघालय	250.55	284.41
24	मिजोरम	121.84	117.06
25	नागालैंड	204.08	155.98
26	ओडिशा	1,779.80	2,315.15
27	पुदुचेरी	25.26	30.87
28	पंजाब	509.48	689.25
29	राजस्थान	2,347.71	3,242.52
30	सिक्किम	65.90	54.95
31	तमिलनाडु	1,543.13	2,715.43
32	तेलंगाना	1,072.29	986.00
33	त्रिपुरा	266.42	197.35
34	उत्तर प्रदेश	5,643.62	5,406.28
35	उत्तराखंड	546.96	430.47
36	पश्चिम बंगाल	221.02	1,791.48

टिप्पण:

- व्यय में केंद्रीय निर्गत राशि, राज्य निर्गत राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। आरसीएच आदि के लिए लचीले पूल के संबंध में व्यय हरियाणा (30.11.2024 तक अद्यतित किया गया है) को छोड़कर 31.12.2024 तक अद्यतित किया गया है।
- उपरोक्त निर्गत राशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय निर्गत राशि 05.03.2025 तक अद्यतित है और अनंतिम है।

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय

करोड़ रु.में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2024-25	
		केंद्रीय निर्गत राशि	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.05	0.47
2	आंध्र प्रदेश*	29.32	36.17
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.10
4	असम*	103.09	89.84
5	बिहार*	0.00	47.21
6	चंडीगढ़	5.13	3.11
7	छत्तीसगढ़*	14.66	23.27
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.53	0.47
9	दिल्ली	-उपलब्ध नहीं-	-उपलब्ध नहीं-
10	गोवा*	0.00	0.03
11	गुजरात	79.38	80.11
12	हरियाणा*	0.00	26.46
13	हिमाचल प्रदेश*	23.11	20.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	60.44	49.30
15	झारखण्ड*	21.27	226.57
16	कर्नाटक*	69.50	107.36
17	केरल*	16.45	20.89
18	लद्दाख	0.31	0.31
19	लक्षद्वीप	0.00	0.39
20	मध्य प्रदेश*	60.04	208.94
21	महाराष्ट्र*	34.71	36.04
22	मणिपुर	5.74	12.56
23	मेघालय*	1.85	20.49
24	मिजोरम	1.96	5.03
25	नागालैंड	0.00	1.08
26	ओडिशा*	98.24	151.50
27	पुदुचेरी	1.25	2.11
28	पंजाब*	1.14	30.46
29	राजस्थान*	67.31	99.14
30	सिक्किम	0.84	3.19
31	तमिलनाडु*	168.72	418.55
32	तेलंगाना*	108.65	178.21
33	त्रिपुरा*	2.12	3.15
34	उत्तर प्रदेश	400.95	340.09
35	उत्तराखण्ड*	18.43	15.81
36	पश्चिम बंगाल*	71.98	52.41

टिप्पण:

- व्यय में केंद्रीय निर्गत राशि, राज्य निर्गत राशि और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय 31.03.2024 तक अद्यतित किया गया है और अनंतिम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय 31.01.2025 तक अद्यतित (अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को छोड़कर जहां 31.12.2024 तक अद्यतित किया गया है) किया गया है।
- ऊपर बताई गई केंद्रीय निर्गत राशि केवल वर्ष 2024-25 से संबंधित है और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय निर्गत राशि को 03.03.2025 तक अद्यतित किया गया है और यह अनंतिम है।
- दिल्ली ने कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं परंतु इस योजना के कार्यान्वित करने की इच्छा जताई है।
- * वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के तहत मूल संस्वीकृति (मदर सेंक्शन) जारी की गई है। मूल संस्वीकृत राशि बिहार को 21.02.2025 को तथा गोवा और हरियाणा को 07.03.2025 को जारी की गई।
- अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और नागालैंड राज्यों ने केंद्रीय निर्गत राशि के लिए व्यय विभाग की शर्तों को पूरा नहीं किया है।

“नर्सिंग सेवाओं का विकास” के अंतर्गत 2024-25 से अब तक जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु.में)

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम	जारी निधि
1	अरुणाचल प्रदेश	सरकारी नर्सिंग स्कूल, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश	3.1782
		सरकारी नर्सिंग स्कूल, आलो, अरुणाचल प्रदेश	3.60
2	मिजोरम	सरकारी नर्सिंग स्कूल, थिंगडॉल	1.525
		सरकारी नर्सिंग स्कूल, लुंगलेई	2.35
3	महाराष्ट्र	स्कूल ऑफ नर्सिंग, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जनरल हॉस्पिटल, सोलापुर	3.00
		स्कूल ऑफ नर्सिंग, विलासराव देशमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, लातूर	2.7134
		ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग और आर.सी.एस.एम. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और छत्रपति प्रमिला राजे जनरल हॉस्पिटल, कोल्हापुर	2.7134
	कुल		19.08

टिप्पणः

- योजना के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पात्र प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है
- राज्य सरकारें इस योजना के तहत निधि जारी करने के लिए आवेदन करती हैं। निधियां योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी की जाती हैं।

“नर्सिंग शिक्षा का संवर्धन- मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ वहीं पर नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना” के अंतर्गत 2024-25 से अब तक जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	जारी निधि
1	उत्तराखण्ड	हलद्वानी, रुद्रपुर, श्रीनगर पौडी गढ़वाल, हरिद्वार	9.00
2	लद्दाख	लेह	2.50
3	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	2.50
	कुल		14.00

टिप्पण:

- योजना के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पात्र डीपीआर के आधार पर जारी की जाती है
- 220 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 2024-25) में से 14 करोड़ रुपये (पहली किस्त) जारी कर दी गई है और राजस्थान सरकार को 77 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार को 76 करोड़ रुपये की मूल संस्वीकृत राशि (दूसरी और अंतिम किस्त) जारी कर दी गई है।

श्री नीरज शेखर: माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ा ही विस्तृत जवाब दिया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही है। NRHM के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लोगों को सुलभ और सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकारें दे रही हैं। मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया को एक मेडिकल कॉलेज दिया है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पीएम आयुष्मान योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के जिला चिकित्सालयों में जो पैसा जा रहा है, उससे क्या वहां के बेड्स में वृद्धि होगी और क्या वहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का प्राथमिक इलाज अथवा इलाज हो पाएगा?

श्री प्रतापराव जाधव: माननीय उपसभापति जी, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग सभी सरकारी अस्पताल empanelment किये जा चुके हैं। उसके माध्यम से जो भी पैसा सरकारी अस्पतालों में जाता है, उसके माध्यम से उन अस्पतालों के infrastructure को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, वहां पर जो भी कमी हो, वह पूरी करने के लिए भी उनको सहूलियत दी गई है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने यहां अलग से नए-नए instruments भी खरीदे हैं, जिनकी सुविधा और अधिकार भी उनको दिया गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Neeraj Shekhar.

श्री नीरज शेखर: सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सप्लिमेंटरी प्रश्न यह है कि पीएम आयुष्मान योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफी काम हो रहा है और वहां काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन विशेषकर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में बीएचयू जैसा संस्थान है, जहां पर बहुत ज्यादा मरीज न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं, बल्कि बिहार से भी आते हैं। लखनऊ में जो पीजीआई है, वहां पर भी पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं। उत्तर प्रदेश में दो एम्स हैं। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी पीएम आयुष्मान योजना के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वहां और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें?

श्री प्रतापराव जाधव: उपसभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां PM-ABHIM के माध्यम से पूरी सुविधा देने और infrastructure बढ़ाने के लिए निधि आवंटित की जाती है। उनकी ओर से जब भी डिमांड आती है, तो PM-ABHIM के माध्यम से उनको पैसा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में SGPGI, लखनऊ; AMU, अलीगढ़; GMC, झांसी; गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, कानपुर और वाराणसी जैसे स्थानों पर PMSSY Scheme के तहत अस्पतालों को super-speciality में उन्नत

किया गया है। PM-ABHIM के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 400 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदान की गई है।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री, नड्डा जी कुछ कहना चाहते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसका जवाब हमारे साथी, सम्माननीय जाधव जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बहुत ही विस्तृत रूप से दिया है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को और हमारे सभी सदस्यों को भी इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। इन्होंने infrastructure की बात कही है। सबसे पहली बात तो यह है कि हेल्थ को affordable, accessible और उसके साथ-साथ equitable बनाने के लिए हम National Health Mission के माध्यम से quality healthcare देने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसमें बहुत तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, मैनपावर सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसका जो माध्यम होता है, उसकी प्रोग्रामिंग नीचे से होती है। हमारे यहां एक PIP (Plan Implementation Programme) होता है कि हम अपना प्लान बनाएं कि मेरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस चीज़ की आवश्यकता है। बिल्डिंग की आवश्यकता है, infrastructure की आवश्यकता है, मैनपावर की आवश्यकता है, इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो वह PIP के तहत NHM में आता है। जैसा मैंने कहा कि हम फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। इसके माध्यम से उनके पास वह धनराशि जाती है और उस धनराशि को खर्च करने के बाद फिर जो अगला PIP आता है, उस Plan Implementation Programme को हम implement करते हैं। इस तरह से हम उनके infrastructure को develop कर रहे हैं।

दूसरा, आपने कैंसर के बारे में पूछा, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आयुष्मान भारत योजना का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो Lancet की रिपोर्ट आई है, उस Lancet की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 'आयुष्मान भारत' के implementation से आज भारत में कैंसर का ट्रीटमेंट screening के 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा development है।

तीसरा, यह कि इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि हम हर जिले में Day Cancer Care Centre खोलेंगे। वर्ष 2025-26 में we are going to open 200 Day Cancer Care Centres. अगले तीन वर्षों में हम सभी districts में इसके सेंटर खोल देंगे। इससे लाभ यह होगा कि, now there are 22 All India Institutes of Medical Sciences which have got a full-fledged Oncology Department. Along with that, all Central hospitals are now having full-fledged Oncology Departments. हमारे झज्जर में 700 बेड्स का देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है और जो कैंसर इक्विपमेंट्स दुनिया में available हैं, वे cancer equipments आज झज्जर में available हैं। कीमो थेरेपी से लेकर जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं, वे सब वहां होती हैं। उसके बाद जिले में टाइम पर जो केयर करने की ज़रूरत है, वह Day Care Cancer Center में हो सकती है। इसके लिए हम लोगों ने cancer की दृष्टि से इस काम को किया है।

आपने एक प्रश्न BHU के बारे में पूछा। उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में सबसे पहले गोरखपुर में AIIMS खोला गया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी OPD और IPD practically full होने के बावजूद वहाँ लोगों का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। It is in full swing that All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur is working. लेकिन BHU में एक सेंटिमेंट है और वह बहुत सही सेंटिमेंट है कि BHU के कैम्पस में अलग से कोई AIIMS नहीं खोल सकते, इसलिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने BHU के साथ एक MoU किया है, उसमें हम BHU के मेडिकल कॉलेज को AIIMS-like institution बना रहे हैं और इस बार बजट में हेल्थ मिनिस्ट्री ने BHU के मेडिकल कॉलेज को AIIMS के standard पर लाने के लिए जो उसके पैमाने हैं, उस हिसाब से इस बार उसकी बजटिंग की है। अब वहाँ के लोग SFC करेंगे और वहाँ की जो Finance Committee बनाएगी, उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Third Supplementary. ... (Interruptions)... Please, please. ... (Interruptions)... Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, when we talk about health infrastructure in rural areas, the ASHAs, Accredited Social Health Activists, do play a very significant role. So my question to the hon. Minister, through you, Sir, is this. Is there any chance to elevate their status from Scheme workers and is there any plan to increase their wages? Moreover, a huge amount is pending for a State like Kerala. It was stated in the Assembly of Kerala that it is more than Rs. 100 crores. So is there any plan

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, the question asked does not directly relate to this question, but I would still answer my respected colleague, Shri Sandosh Kumar. First of all, ASHA workers are doing a very good job and my full appreciation to them, because at the grassroots level, their efforts have reduced the Maternal Mortality Rate, IMR and under five-mortality. I can say with confidence that as far as maternal healthcare and reproductive child healthcare is concerned, capacity building of ASHA workers, who are our frontline workers, has been done and they are certainly doing a very good job. ... (Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, ASHA workers... ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Jairamji, no commentary. Please do not interrupt.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I would like to enlighten the House that just a week back, there was a meeting of the Mission Steering Group of NHM, where we found that in all the activities that the ASHA workers are performing, there should be

an enhancement of the financial part. The Mission Steering Group has given the permission and we would be going forward with it. That is the involvement. As far as the Kerala Government is concerned, I would like to enlighten the hon. Member that the Government of India has given all its dues... ..(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ... (Interruptions)... No, not allowed. Please take your seats. ... (Interruptions)... आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ... (व्यवधान)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The Utilization Certificates have not come. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. ... (Interruptions)... आप सबकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The moment the Utilization Certificates are received, we would pay to the ASHA workers and to the State of Kerala accordingly. But, at this point of time, our share has been given to Kerala and for the ASHA workers. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति: श्रीमती रंजीत रंजन जी। बाकी माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाएं।

श्रीमती रंजीत रंजन: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हम लोग रूरल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का आयुष्मान का कितना पैसा बकाया है? क्या यह सच है कि लगभग छह हजार करोड़ रुपये बकाया है, जिसके कारण जो प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान का इलाज होना चाहिए था, वे करने से मना कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल भी मना कर रहे हैं? क्या यह सही है कि आप पांच लाख पर पर्सन आयुष्मान के इलाज के लिए देते हैं, जिसमें आपने बड़ी बीमारियों का जिक्र किया, लेकिन अस्पतालों में अगर ढाई लाख या डेढ़ लाख रुपये का खर्चा आता है, तो पूरा पैसा आयुष्मान से नहीं कटता है। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: रंजीत जी, एक ही सवाल पूछना है।

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, यह बहुत important है। पेशेंट को अपने घर से देना पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ का कितना पैसा आयुष्मान का बकाया है, क्या वहां पर वे इलाज नहीं कर रहे हैं?

श्री उपसभापति: प्लीज, एक ही सवाल पूछें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: उपसभापति जी, यह प्रश्न नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) से संबंधित है। यह प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्या छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat, Shrimati Ranjeet Ranjan.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई due नहीं है and the State Government has to resolve it. आपने कहा है, तो मैं इसकी तहकीकात करूंगा और हम इसमें जो कर सकते हैं, वह किया जाएगा। हमारी तरफ से कभी भी किसी भी स्टेट के आयुष्मान भारत के अंतर्गत bills पेंडिंग नहीं हैं। हम लोग हमेशा देते हैं। कुछ केसेज़ ऐसे आते हैं, जिन केसेज़ के बारे में हमारे डिजिटाइजेशन के कारण हमें एलटर्स मिलते हैं, उन एलटर्स को हम रिएग्जामिन करते हैं और उसके बाद ही उसकी पेमेंट करते हैं।

श्री उपसभापति: लास्ट सप्लीमेंटरी, श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण।

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण: उपसभापति महोदय, मंत्री जी ने इस प्रश्न के बारे में अपना विस्तृत जवाब दिया है। आप जानते हैं कि ये सब स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। आप पैसा केन्द्र से राज्यों को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसके implementation की जिम्मेदारी अपनाती है कि उनको यह सब implement करना पड़ता है। सर, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां जो प्रश्न का फोकस है, मैं समझता हूँ कि केन्द्र सरकार की ओर से अलग-अलग स्कीम के तहत राज्यों को जो पैसा दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो implementation का इश्यू है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे कई स्टेट्स में रूरल हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बनकर तैयार हुए दो-तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वह अस्पताल फंक्शनल नहीं है। बहुत से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भी तैयार हुए दो-तीन साल हो गए हैं, लेकिन वे भी अभी तक फंक्शनल नहीं हैं, सब-सेंटर्स में भी वही हाल है, हमारी जो सीटी स्कैन मशीन्स हैं, एमआरआई मशीन्स हैं, वे भी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बंद पड़ी हुई हैं। उपसभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद सही दिक्कत तो यह है कि डॉक्टर्स ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया ब्रीफ में प्रश्न पूछिए।

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण: महोदय, जो डॉक्टर्स की रिक्लूटमेंट्स होती हैं, वे नहीं हुई हैं। ये रिक्लूटमेंट्स प्रोसेस एमपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है, लेकिन रिक्लूटमेंट्स की प्रोसेस दो-तीन सालों तक चलती रहती है। सर, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन

रिक्रूटमेंट्स की प्रॉसेस वक्त पर नहीं होती है, इसलिए दो-तीन सालों तक बिल्डिंग्स तैयार होने के बाद, इक्विपमेंट लगाने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है।

उपसभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट है कि क्या हम डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ और नर्सों की रिक्रूटमेंट इम्प्लिमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर टाइमबाउंड प्रॉसेस का एक अंकुश रख सकते हैं, ताकि आपका दिया हुआ पैसा सही इस्तेमाल हो और खास कर रूरल एरिया के लोगों को इसका फायदा हो? उपसभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी हमें इससे अवगत कराएं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को माना है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। यानी हम हमेशा फायनेंशियली सारी चीजों को, जो भी आवश्यकता है, उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप बड़े तजुर्बेकार हैं, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है, आप सारी चीजों को जानते हैं। हमारा प्रयास है कि जैसे एनएचएम में डॉक्टरों की कमी है, हमने कहा है कि 'You quote, we pay.' यानी उनकी तनखाह डॉक्टरों को दे दें, हम पे करेंगे। हम flexi-pool के तहत लोगों को यहाँ तक जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने nursing staff के लिए भी इसी तरह से किया है। महोदय, manpower की recruitment स्टेट का विषय है, उसको स्टेट करेगी, लेकिन हम एक काम को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं कि हम स्टेट की capacity building भी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत-सी चीजें ऐसी होती हैं कि हम फायनेंशियली तो उनको सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जो एजेंसीज आगे इम्प्लिमेंट करती हैं - जैसे उन्होंने कहा था कि Primary Health Centres या आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदि, तो हम इनके National Quality Assurance Standards (NQAS) पर काम कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी को सुधारने का काम भी कर रहे हैं। इसको करने के लिए अगर capacity building के क्षेत्र में भी आवश्यकता है, तो हम वह capacity building भी कर रहे हैं। हम बहुत जल्द स्टेट की परफॉर्मेंस भी इम्पूव करेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।